प्रारूप—11
(नियम 7 (1) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी जोन—12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मामला सं. 71

वर्ष 2012

1. **राजीव बियानी, संजय बियानी, मनीष बियानी पुत्रान स्व. श्री जुगलकिशोर बियानी, सुजाता बियानी पत्नि श्री राजीव, प्रियंका बियानी पत्नि श्री संजय, मधु बियानी पत्नि श्री मनीष बियानी निवासी सी—1, एल.एस. नगर, बियानी गर्ल्स कॉलेज के सामने, सैक्टर नं. 3, विद्याधर नगर, जयपुर।**

विषय :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क के अधीन कृषि भूमि का गैर—कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

<u>आदेश</u>

दिनांक 21/2/13

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :—

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क के अधीन निम्नलिखित भूमि का (संस्थानिक व स्पोर्टस ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :—

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा क्षेत्र बीघा—बिस्वा	किस्म भूमि
तहसील जयपुर जिला जयपुर	कालवाड	173/2 176/1 177/2	4—00 7—08 5—02	बारानी—3 बारानी—3 बारानी—3
	कुल किता	3	16 बीघा 10 बिस्वा	

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की—मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और सचिव जविप्रा, जयपुर की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर—कृषिक प्रयोजन के लिए [illegible] उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **(संस्थानिक व स्पोर्टस ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट)** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर